

# Han Alsuma The Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 1910] No. 1910] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

#### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

का.आ. 2144(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, उप-खंड (ii) तारीख 23 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना इटैलिक्स संख्यांक का.आ. 3151(अ) तारीख 23 नवंबर, 2015 का निम्नलिखित संशोधन करती है :— उक्त अधिसूचना में,--

- 2. शीर्षक "धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (v) के अधीन नियुक्त सदस्य" के अधीन क्रम सं. 14 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातृ :--
  - "14. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नसीमुद्दीन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 26, खैर नगर बाजार, हौज़ वाली मस्जिद के पास, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश – 250 002 ।"

[फा. सं. 8-1/2015-वक्फ (भाग-2)] जे. आलम, संयुक्त सचिव

4199 GI/2017

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 3151(अ) तारीख 23 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।



## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

- **S.O. 2144(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with rule 4 and rule 5 of the Central Waqf Council Rules, 1998, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Minority Affairs vide italics number S.O. 3151 (E) dated the 23<sup>rd</sup> November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23<sup>rd</sup> November, 2015, namely:--
- 2. In the said notification, under the heading Members appointed under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"14. Justice (Retired) Naseem Uddin, Allahabad High Court, 26, Khair Nagar Bazar, Near Hauz Wali Masjid, Meerut City, Uttar Pradesh 250 002."

[F. No. 8-1/2015-Waqf (Pt.II)]

J. ALAM, Jt. Secy.

Note: The principal notification vide number S.O. 3151(E), dated the 23rd November, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii).

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.10 19:28:54 +05'30'